**बिहार सरकार**

**<u>अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग</u>**

सं0– 3/निदे0 आ0वि0(नि0/म0)–05–42–32/2014 – 03

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार पटना।

पटना, दिनांक– 24.04.17

विषय :–वर्त्तमान वर्ष 2017–18 में **अनुसूचित जाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय बक्सर में शिक्षक आवास, छात्रावास अधीक्षक आवास एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास के भवनों के निर्माण कार्य के भुगतान हेतु सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या–5783/2014 मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राईजेज बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में माँग संख्यां–03 के सुसगंत शीर्ष से राशि व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति ।**

प्रसंगः– भवन निर्माण विभाग का पत्रांक–भवन/ बजट–46–विविध–91/ 2015–16–2137 (भ) दिनांक–15.03.2017।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 के लिए 12 वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुशंसित सहायता अनुदान के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये आवासीय विद्यालयों, छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु कर्णांकित राशि से पत्रांक–सं0–5/सी0एस0एस0–28–2003–174 दिनांक–9–12– 06 द्वारा दिये गये प्रशासनिक स्वीकृति के तहत् **अनुसूचित जाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय बक्सर** में शिक्षक आवास, छात्रावास अधीक्षक आवास एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास के भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।

2– प्रासांगिक पत्र के द्वारा भवन निर्माण विभाग ने **अनुसूचित जाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय बक्सर** में शिक्षक आवास, छात्रावास अधीक्षक आवास एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास के भवनों के निर्माण कार्य के भुगतान हेतु **सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या–5783/2014** मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राईजेज बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में ₹8,28,330/–(आठ लाख अठाईस हजार तीन सौ तीस रू0) मात्र के भुगतान किया जाना है।

3– वर्णित स्थिति में वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 के तहत **अनुसूचित जाति के लिए** बजट मुख्य शीर्ष ''4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0101–अनुसूचित जाति के भवन–विषय शीर्ष–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–03–4059017890101 से राशि व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4–राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग , बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे। इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे।

7– इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

8–इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

20.4.17

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1 / छात्रावास(नि0 / म0)–05–42–32 / 2014 03 पटना, दिनाक– 24.04.17

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट, शाखा / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, निगरानी विभाग / प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग / **अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग** / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड़, पटना / सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग / जिला पदाधिकारी, बक्सर / उप विकास आयुक्त, बक्सर / संबंधित उप निदेशक, कल्याण / जिला कल्याण पदाधिकरी, बक्सर / आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

24.4.17

सरकार के सचिव।